

जिला ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, गिरिडीह।

(जिला विकास शाखा, गिरिडीह)

DeGS, गिरिडीह अंतर्गत data entry operator/computer operator के
पैनल निर्माण हेतु आवश्यक सूचना

दिनांक 19.12.17 को DeGS गिरिडीह की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में DeGS, गिरिडीह के अंतर्गत Data entry operator/computer operator के पैनल निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस पैनल निर्माण में apply करने के लिए निम्नांकित शर्तें एवं अहर्ताएँ निर्धारित हैं :-

1. Minimum Qualification- Intermediate with at least 40% marks
2. Candidate must have ADCA/DCA Certification course with recognized institution.
3. Candidate should be the resident of Giridih district. (Candidates of other district will not be entertained)
4. Candidate should have at least one year relevant experience from Govt./Private sector)
5. Candidate should be aged between 18 yrs to 35 yrs as on 01-01-2018
6. Interested candidates may apply online from the district website link (giridih.nic.in) up to 16-01-2018.
7. Skill/Typing Test will be held on 18-01-2018 from 11.00 AM onwards at meeting hall, D.C. Office, Giridih.

शर्तें :-

1. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त निर्मित पैनल से आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों में गानेदय के आधार पर मेधाक्रमवार अस्थायी तौर पर नियोजित किया जायेगा। गानेदय आधारित नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा गविष्य में किसी प्रकार के स्थायीकरण की माँग नहीं की जा सकेगी।
2. Skill/typing test में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को online भरे गए आवेदन के प्रिन्टआउट में पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर लाना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी को अपना एक फोटो पहचान पत्र गूल में लाना अनिवार्य होगा।
3. पैनल से संबंधित औपबधिक merit list के प्रकाशन के उपरान्त पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को सभी शैक्षणिक/अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रगाणित छायाप्रति जिला विकास शाखा, गिरिडीह में समर्पित करना होगा, जिसका सत्यापन गूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा। online भरे गए तथ्यों एवं समर्पित प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जायेगी एवं अंतिम merit list से उनका नाम हटा दिया जायेगा।
4. Skill/Typing TEST में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का T.A./D.A. देय नहीं होगा।
5. यह पैनल एक साल तक वैध रहेगा एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा।
6. उपर्युक्त सभी शर्तों को कार्य हित में शिथिल/रद्द/संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।


30/

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
DeGS, गिरिडीह।

ज्ञापांक.....38/वि०, गिरिडीह, दिनांक 11 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि उक्त सूचना को www.giridih.nic.in में upload करवाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही www.giridih.nic.in में online apply करने हेतु link उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- कार्यालय के सूचनापट्ट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
DeGS, गिरिडीह।